संसं0– टी 3/योजना–32/2011– 864

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 15.05.2026

विषय– कौशल विकास मिशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026–2027 में सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध राशिरू0 40000.00 लाख (रूपये चार सौ करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि राज्य के युवाओं को कौशल ज्ञान प्रदान करने, विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने एवं राज्य में कौशल उन्नयन हेतु आवश्यक परामर्श एवं कार्रवाई के निमित्त बिहार कौशल विकास मिशन का गठन एक सोसायटी के रूप में किया गया है. जो राज्य के युवाओं को गुणवत्ता पूर्ण कौशल विकास करने वाले तंत्र की क्षमता का निर्माण एवं संवर्द्धन करने का कार्य करेगा। प्राप्त राशि से बिहार कौशल मिशन के संस्थागत व्यय, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा चलाये जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों तथा राज्य में कौशल विकास की लक्ष्य के प्राप्ति हेतु व्यय किया जायेगा। इस आलोक में रू0 4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति दी जाती है। यह स्वीकृति वित्त विभाग के एम–4–53/2007–3758 दिनांक–31.05.2017 के कंडिका–08 के आलोक में दी जा रही है।

2. स्वीकृत राशि का व्ययः–

(i) मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष 0136– बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय–2, विपत्र कोड–53–2230030030136 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–2027 में उपबंधित राशि रू0–26427.00 लाख (दो सौ चौसठ करोड़ सताईस लाख) मात्र निम्न प्रकार है–

विषय शीर्ष	अनपूरक से प्राप्त राशि (लाख में)
0136–31–04 सहायक अनुदान वेतन	343.00
0136–31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन	26084.00
कुल योग (A)	26427.00

रू0 26427.00 लाख (दो सौ चौसठ करोड़ सताईस लाख) मात्र।

(ii) मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0104– बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय–2, विपत्र कोड–53–2230037890104 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–2027 में उपबंधित राशि रू0–13256.00 लाख (एक सौ बत्तीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र मात्र निम्न प्रकार है–

विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख में)
0104–31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन	13256.00
कुल योग (B)	13256.00

रू0 13256.00 लाख (एक सौ बत्तीस करोड़ छप्पन लाख)मात्र।

(iii) मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 796–जनजातीयें क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 0124– बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय–2, विपत्र कोड–53–2230037960124 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–2027 में उपबंधित राशि रू0–317.00 लाख (तीन सौ सत्रह करोड़) मात्र निम्न प्रकार है–

विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख में)
0124–31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन	317.00
कुल योग (C)	317.00

रू0–317.00लाख (तीन करोड़ सत्रह लाख) मात्र।

कुल योगः– (A+B+C) रू0 40,000.00 लाख (रूपये चार सौ करोड़) मात्र सहायक अनुदान के रूप में प्रावधानित है, से विकलनीय होगा।

3–वित्तीय वर्ष 2026–2027 में बिहार कौशल विकास मिशन योजना के अन्तर्गत रू0 40000.00 लाख (रूपये चार सौ करोड़) मात्र का बजट उपबंध उपलब्ध है। इस वित्तीय वर्ष में राशि का व्यय योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत सीमित रखा जाएगा। साथ ही वित्त विभाग के पत्र संख्या– 2561 वि० (2) दिनांक–17–04–98 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4–इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना से होगी।

5–बिहार कौशल विकास मिशन सोसायटी उपरोक्त राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगी।

6–इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना (मुख्यालय) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी विपत्र FORM-46 (Inter Departmental Transfer) पर किया जाएगा। राशि पुस्त हस्तांतरण (Book Transfer) द्वारा किया जाएगा। राशि पुस्त हस्तांतरण (Book Transfer) द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन योजना के पी0एल0 एकाउण्ट PBB PLA-016 में रखी जाएगी। पी0एल0 खाता में अंतरित राशि की प्राप्ति एवं व्यय का लेखा त्रैमासिक आधार पर कोषागार के माध्यम से भाउचर्स की राशि का महालेखाकार को प्रेषित करना होगा साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत सहायक अनुदान की राशि का पंजी संधारित करेंगें एवं लेखाकंन का अनुश्रवण करेंगे।

7– प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–टी0 3/योजना–32/2011 के पृष्ठ–226/टि० पर विभागीय सचिव का अनुमोदन पृष्ठ–226/टि0 पर एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ–223/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

S. Dayal 14/5/26

(शंकर दयाल)

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल

विकास विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–32/2011 – 864

पटना, दिनांक– 15.05.2026

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी विकास भवन, नया सचिवालय , बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल

विकास विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–32/2011 – 864 पटना, दिनांक– 15.05.2026

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, शहरी नगर विकास विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग/ प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/कारा महानिरीक्षक, बिहार/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/ सचिव के आप्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (सहायक निदेशक प्रशिक्षण)/निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना (मुख्यालय)/बजट शाखा/लेखा एवं व्यय शाखा (प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल

विकास विभाग।